निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 56/2023
दायरा दिनांकः—06.09.2023
निर्णय दिनांकः— 27.2.24

उनवान

1 भारतसिंह आयु 31 वर्ष पुत्र भोलाराम
2 महावीर आयु 25 वर्ष पुत्र भोलाराम
3 गायत्री बाई आयु 50 वर्ष पुत्र भोलाराम जातियान मीणा निवासीगण ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा जिला बारां राज0

बनाम

1. भोलाराम आयु 52 वर्ष पुत्र रामनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा जिला बारां राज0
2. नमस्ता बाई पत्नि अर्जनसिंह जाति मीणा निवासी ग्राम बावडीखेडा
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारा राज0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः— 27.2.24
अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री कृष्ण गोपाल भार्गव — प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि
प्रार्थीगण के पिता/पति/बहु/भाभी के खाते निम्न भूमि खाता संख्या 65 की खसरा नम्बर 117 रकबा 2.1499 है०, खसरा नम्बर 121 रकबा 0.7461 है0, खसरा नम्बर 126 की रकबा 1.3026 है० खसरा नम्बर 154 की रकबा 0.9864 है० कुल रकबा 5.1850 है० स्थित है जिसमे भोलाराम का हिस्सा 5/36 दर्ज जमाबन्दी है। इसी प्रकार खाता संख्या 63 की खसरा नम्बर 51 की रकबा 0.2529 है० भूमि मे भोलाराम का हिस्सा 2/3 दर्ज जमाबन्दी है। इसी प्रकार खाता संख्या 159 की खसरा नम्बर 243 की रकबा 0.1391 है० खसरा नम्बर 255 की रकबा 0.8852 है। खसरा नम्बर 256 की रकबा 1.2267 है० खसरा नम्बर 257 की रकबा 1. 5302 है०, कुल किता 4 रकबा 3.7812 है0 में भोलाराम का हिस्सा 5/12 दर्ज जमाबन्दी है। इसी प्रकार भूमि खाता संख्या 62 की खसरा नम्बर 118/1 की रकबा 0. 7588 है० भूमि में भोलाराम का हिस्सा 512 दर्ज जमाबन्दी है। इसी प्रकार भूमि खाता संख्या 36 की खसरा नम्बर 277 की रकबा 0.0632 है० भूमि मे भोलाराम के पिता यानी रामनारायण का हिस्सा 1/36 दर्ज जमाबन्दी है जो वादीगण के पिता/पति भोलाराम को विरासत में अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है उक्त भूमि को शामलाती में काश्त करने के दौरान ही प्रार्थीगण के द्वारा शामिल में भूमि खाता संख्या 18 की खसरा नम्बर 155 की रकबा 0.4806 है०, एंव भूमि खसरा नम्बर 156 की रकबा 0.3035 है० भूमि कुल 2 किता रकबा 0.7841 भूमि मे 30/31 हिस्सा को प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी कम 1 के द्वारा शामिल में कय किया जाकर रजिस्ट्री अप्रार्थी कम 2 नमस्ताबाई के नाम करवाई गई थी उक्त भूमि भी प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी कम 1 व 2 के पूर्वजो से प्राप्त से हुई आय से क्रय की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.19 16:41:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

है इसलिए उक्त भूमि सम्पूर्ण भूमियात मे प्रार्थीगण का हिस्सा 3/5 के हिस्सेदार है। प्रार्थीगण में भरतसिंह व महावीर अप्रार्थी नं० 1 के पुत्र है तथा प्रार्थीया नं० 3 प्रार्थी कम 1 की शादी शुदा पत्नि है। तथा अप्रार्थीया न० 2 भोलाराम के लडके मृतक अर्जुनसिंह की पत्नी है। भोलाराम ने मृतक अर्जुनसिंह की पत्नी के नाम है। यह कि भोलाराम के नाम आई उक्त समस्त सम्पत्ति भूमियात उनके पूर्वजो से प्राप्त हुई है जिसमे भोलाराम के वारिसान का भी उतना ही अधिकार है जितना की भोलाराम का। यह कि भोलाराम आये दिन प्रार्थीगण के साथ झगड़ा करता है और गाली गलोच कर सम्पूर्ण भूमियात को बेचान कर प्रार्थीगण को सम्पत्ति से बेदखल करने की धमकी देता है जबकि भोलाराम को उक्त सम्पत्ति कृषि भूमि को बेचान करने या खुर्द बुर्द करने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि उक्त सम्पत्ति पैत्रक सम्पत्ति है। अप्रार्थीया कम 2 के नमस्ताबाई के नाम पर कय की गई है उक्त भूमि को कय करते समय प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी कम संख्या 1 व 2 के पति की पैत्रक मकान को बेचान करके कय की गई थी लिहाजा उक्त भूमि में भी प्रार्थीगण का हिस्सा 3/5 के अधिकारी है। भोलाराम के खाते दर्ज सम्पूर्ण कृषि भूमि भोलाराम अप्रार्थी को अपने पिता रामनारायण जी के स्वर्गवास हो जाने के बाद दिनाक 08/05/2012 के फौती इन्तकाल से विरासत मे प्राप्त हुई है इससे स्पष्ट है कि उक्त सम्पूर्ण भूमियात प्रार्थीगण की पैत्रक भूमि है जिसे बेचान करने या खुर्द बुर्द करने का कोई अधिकार भोलाराम को प्राप्त नही है। वर्तमान में प्रार्थीगण उक्त भूमियात के 3/5 हिस्से पर काबिज है और काश्त कर रहे है शेष 2/5 हिस्से पर अप्रार्थी कम 1 व 2 काबिज है। यदि अप्रार्थी कम 1 ने उक्त भूमि को बेचान दान, रहन, या अन्य किसी भी तरीके से खुर्द बुर्द कर दिया तो प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति संभन नहीं होगी। प्रार्थीगण रोड पर आ जावेगे। और फिर प्रार्थीगण को अनेका अनेक दावो मे उलझना पडेगा। प्रार्थीगण अपनी पैत्रक भूमि में अपना हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है जिन्हे अप्रार्थी कम 1 व 2 के खाते की सम्पूर्ण भूमि मे 3/5 हिस्से के खातेदार घोषित होने के अधिकारी है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध दिनांक 5.10.2023 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बावडीखेडा सम्वत् 2073-76 खाता संख्या 65 नकल जमाबन्दी ग्राम बावडीखेडा सम्वत् 2073-76 खाता संख्या 63 नकल जमाबन्दी ग्राम बमोरा सम्वत् 2076-79 खाता संख्या 159 नकल जमाबन्दी ग्राम बावडीखेडा सम्वत् 2073-76 खाता संख्या 62 नकल जमाबन्दी ग्राम बावडीखेडा सम्वत् 2073-76 खाता संख्या 64 नकल जमाबन्दी ग्राम बावडीखेडा सम्वत् 2073-76 खाता संख्या 18 नकल जमाबन्दी ग्राम बावडीखेडा सम्वत् 2073-76 खाता संख्या 36 नकल नामान्तरण संख्या 307 ग्राम बावडीखेडा नकल नामान्तरण संख्या 483 ग्राम बावडीखेडा पेश की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.19 16:41:04 IST
Reason: SelfAttested

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को ही दोहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बावडीखेडा में स्थित है जो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी में दर्ज है। विवादित भूमि अप्रार्थी क्रम 1 भोलाराम को उनके पूर्वजो से प्राप्त हुई जिसमें भोलाराम के वारिसान का भी उतना ही अधिकारी है उतना की भोलाराम का अप्रार्थी क्रम 1 आये दिन गाली गलोच करता है तथा विवादित भूमि को बेचान करने की धमकी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

है विवादित आराजी पैत्रक आराजी है अप्रार्थी क्रम 1 भोलाराम को सम्पूर्ण भूमि अपने पिता रामनारायण के स्वर्गवास हो जाने के बाद दिनांक 08.05.2012 को फोती नामान्तरण से विरासत में प्राप्त हुई है पैत्रक सम्पति में प्रार्थीगण का हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है यदि विवादित आराजी अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा बेचान कर दिया तो प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बावडीखेडा सम्वत 2073–76 खाता संख्या 65 में भोलाराम का 5/36 हिस्सा दर्ज है खाता संख्या 63 में भोलाराम अप्रार्थी क्रम 1 का 2/3 हिस्सा ग्राम बमोरा की जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 159 में अप्रार्थी भोलाराम का 5/12 हिस्सा ग्राम बावडीखेडा की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 खाता संख्या 62 में भोलाराम का 5/12 हिस्सा खाता संख्या 64 में भोलाराम का हिस्सा 5/24 खाता संख्या 18 अप्रार्थी क्रम 2 नमस्ता बाई का 30/31 हिस्सा दर्ज है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी में अप्रार्थी क्रम 1 का शामलाती खातेदारी में दर्ज है नामान्तरण संख्या 483 ग्राम बावडीखेडा दिनांक 12.05.2012 के अनुसार मृतक रामनारायण के फोत होने के वाद फोती नामान्तरण दर्ज किया गया। इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी पैत्रक सम्पति है क्योकि विवादित भूमि भोलाराम अप्रार्थी क्रम 1 के पिता रामनारायण से प्राप्त हुई है पैत्रक सम्पति में प्रार्थीगण अपना हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। जो मूल वाद के निस्तारण से तय होगा प्रकरण में अपरिमित क्षति होना प्रतीत नही होता है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर ए एस
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.19 16:41:04 IST
Reason: SelfAttested